

11



**न्यायालय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर**

प्र.कं. 905 / 2016 पुनरीक्षण

Ru03-II-16

मुकेश माग्नि प.प्र.  
30-12-16/र.को

सलीम खां पुत्र हबीब खां  
निवासी ग्राम बैराड़ तहसील बैराड़  
जिला शिवपुरी (म.प्र.)

30-12-16

..... आवेदक

विरुद्ध

वीरेन्द्र पुत्र रामस्वरूप वैश्य  
निवासी ग्राम बैराड़ तहसील बैराड़  
जिला शिवपुरी (म.प्र.)

..... अनावेदक

WB  
मुकेश माग्नि  
30-12-16 एडवोकेट  
ग्वालियर

**न्यायालय तहसीलदार तहसील बैराड़ जिला शिवपुरी द्वारा प्र.कं. 07/14-15/अ-70 में पारित आदेश दिनांक 11.11.2016 के विरुद्ध म.प्र. नू. राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत पुनरीक्षण।**

माननीय महोदय,

आवेदक का निम्नानुसार निवेदन है कि -

- 1- यह कि, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश अवैध अनुचित तथा विधि के उपबंधों के प्रतिकूल होने से प्रथम दृष्टया ही निरस्त योग्य है।
- 2- यह कि, ग्राम बैराड़ में स्थित भूमि सर्वे नं. 1253, 1260 एवं 1261 जिसका पुराना सर्वे नं. 853 व 558 पर आवेदक का वर्षों पूर्व का 1965-66 से आज तक आवेदक के पिता की मृत्यु के पश्चात आवेदक का विवादित भूमि पर


1

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर  
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक-निगरानी-4403-एक/2016

जिला-शिवपुरी

सलीम खां विरुद्ध वीरेन्द्र

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
24-04-2019	<p>प्रकरण प्रस्तुत। आवेदक की ओर से श्री मुकेश भार्गव एवं अनावेदक की ओर से श्री सुन्दरम श्रीवास्तव अभिभाषक उपस्थित । आवेदक द्वारा यह निगरानी तहसीलदार तहसील बैराड़, जिला-शिवपुरी के प्रकरण क्रमांक 07/2014-15/अ-70 में पारित आदेश दिनांक 11-11-2016 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 मू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25-9-2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर, जिला-शिवपुरी के न्यायालय को अंतरित किया जाता है।</p> <p>2/ पक्षकार दिनांक 06-06-2019 को कलेक्टर के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों।</p>	<p align="right"> (आरुण कुमार जैन) सदस्य</p>